# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
## हल्द्वानी
## जिला–नैनीताल

उपस्थित 1–टीका राम जोशी, सदस्य (न्यायिक)
2–पी.सी. पान्डेय, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–226 / 2023

भूपेन्द्र प्रसाद, परिवादी
कुमाऊं कालौनी दमुवाढुंगा हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

## निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– कुमाऊ कालोनी दमुवाढुंगा में मेरा आवासीय भवन है। जिसमें विद्युत सुविधा हेतु वैधानिक रूप से मैंने कनेक्शन ले रखा है। जिसका कनेक्शन नं0–40115098812 है। महोदय, मै सभी विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से करता आ रहा हूं। फरवरी 2023 में मैंने रीडिंग लेकर यूनिट के अनुसार 852 रू0 बिल जमा किया किन्तु मार्च में विद्युत विभाग द्वारा मुझे 33878 रू० बिल जमा करने को कहा गया, जो आवासीय भवन में उपभोग से कहीं अधिक था। मेरे द्वारा उक्त बिल की प्रेक्षा दमुवाढुंगा के जेई साहब से की गई तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि यह बिल संसोधन मेरे क्षेत्र से बाहर का है। तब मैंने अधिशासी अभियंता हीरानगर में एप्लीकेशने दी। अभियंता महोदय द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया था कि जो संभव होगा संशोधन की प्रकिया की जाएगी। महोदय द्वारा कोई निर्णय लिया जाता, उससे पूर्व ही दमुवाढुंगा में नियुक्त जेई साहब द्वारा मेरे घर का कनेक्शन बिना नोटिस के काट दिया गया। जब मेरे घर का कनेक्शन काटा जा रहा था तो कालेज में पढने वाली मेरी बेटी द्वारा जो परीक्षा की तैयारी कर रही थी, उसके द्वारा मुझे कनेक्शन काटने की सूचना दी गई। तब मेरे द्वारा जेई महोदय से दूरभाष में बात

हुई तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अभियंता महोदय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर विचार होने तक कनेक्शन न काटा जाए तब जेई साहब ने मुझे बताया और धमकाया कि जो भी निर्णय होगा वह मेरे द्वारा होगा। मुझे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पडती है। तुरन्त ही जेई महोदय के आज्ञानुसार दिनांक 25.07.2023 को मेरा विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया। तथा उसी दिन मैंने विभाग से निवेदन कर 20000 रू0 जमा करके अपना विद्युत कनेक्शन पुन जुडवाया और जेई साहब से निवेदन किया कि जो भी उचित विद्युत उपभोग मेरे द्वारा उक्त महिनों में किया गया उसका बिल संसोधित किया जाए ताकि मैं भुगतान कर सकूं। अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो पायी है। अतः विभाग के उच्च अधिकारियों से पुनः निवेदन है कि उक्त प्रकरण के संबंध में संतोषजनक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। महोदय मैने अपने विद्युत बिल का संशोधन हेतु उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में आवेदन किया है। जब किसी प्रकार का निवारण नहीं होता है, तब तक मेरा कनैक्शन विच्छेदन न किया जाय।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि– शिकायतकर्ता के विद्युत बिल की हिस्ट्री संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। यह कि टी0डी0एस0 कम्पनी द्वारा शिकायतकर्ता के विद्युत मापक की ली गयी की रीडिंग छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

3. परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया कि:– मेरे द्वारा विद्युत शिकायत निवारण मंच कुमाऊँ क्षेत्र हल्द्वानी नैनीताल में विद्युत बिल निवारण हेतु आवेदन किया गया है। मेरा पूर्व में विद्युत अवशेष बिल रू0 16,599/– है, जो वर्तमान बिल में (रू0 3659/–) जुड़कर रू0 20,258/– हो गया है। कुल योग में सरचार्ज अधिक होने के कारण मेरा विद्युत बिल की धनराशि बढ़ती जा रही है। महोदय से निवेदन है कि मेरे शिकायती पत्र के निवारण तक मेरे पूर्व अवशेष बिल की धनराशि को छोड़कर मुझे वर्तमान बिल जमा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें साथ ही विद्युत उपभोक्ता शिकायत मंच द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा तथा मुझे विभाग द्वारा जो निर्देश दिये जायेंगे मैं उनका निष्ठापूर्वक पालन करूंगा।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता का विद्युत मापक अन्तिम रीडिंग 33778 kwh पर बदला गया । उक्त रीडिंग के प्रमाण हेतु टी0डी0एस0 द्वारा ली गयी मापक के ईमेज की छायाप्रति संलग्न कर पूर्व मे ही प्रेषित की जा चुकी है। मापक बदलने से पूर्व शिकायतकर्ता को MU में बिल प्रेषित किये जा रहे थे। शिकायतकर्ता के पुराने मापक EM 9759 की एम0आर0आई0 करने हेतु सहायक अभियन्ता (मापक) से पत्राचार किया गया है।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने अतिरिक्त पत्र में कहा गया है कि:–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विद्युत परीक्षण खण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के पुराने विद्युत मापक ई0एम0 9759 की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है अतः मा0फोरम के समक्ष एम0आर0आई0 रिर्पोट प्रेषित कर पाना सम्भव नहीं हो रहा है।
6. मंच में दिनांक 12.09.2023 को उभय पक्षों की सुनाई की गई। सुनवाई में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया की मापक की MRI नहीं हो पा रही है। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के बिल को औसत उपभोग के अनुसार गणना शीट मंच में प्रस्तुत करें। विपक्षी द्वारा दिनांक 14.09.2023 को बिल संशोधित गणना शीट मंच में प्रस्तुत की गयी। इस गणना सीट के अनुसार दिनांक 08.09.2023 तक परिवादी को रुपए 5532.59 का समायोजन प्रदान करते हुए कुल बकाया रू0 16473.41 की धनराशि दर्शायी गयी है।
7. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री, जो की विपक्षी द्वारा मंच में प्रस्तुत की गयी है, के अनुसार दिनांक 04.05.2023 को परिवादी का पुराना मापक संख्या–EM9759 बदलकर नया मापक संख्या–10205665 स्थापित किया गया। हिस्ट्री में दर्ज की सीलिंग रिपोर्ट के अनुसार मापक बदलते समय पुराने एवं नये दोनों मापकों की रीडिंग शून्य दर्ज की गयी है। अर्थात मापक बदलते समय पुराने मापक में रीडिंग प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी अथवा यह कहा जा सकता है कि मापक खराब था, तथा उसे बदलकर नया मापक स्थापित कर दिया गया। दूसरी तरफ बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि परिवादी को दिनांक 19.02.2023 से दिनांक 23.04.2023 तक की अवधि में विद्युत खपत 4970 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया है। इसी तरह बिल पर आपत्ति जताई गयी है। दिनांक 23.04.2023 से पूर्व के किसी भी बिल पर परिवादी को कोई आपत्ति नहीं है तथा वह उसका नियमित भुगतान भी करता आ रहा है। हिस्ट्री के अनुसार पिछले 12 सालों में इतनी अवधि खपत परिवादी की कभी नहीं रही है तथा उसने इस 12 सालों में सभी बिलों का नियमित भुगतान भी किया है। दिनांक 23.04.2023 को प्रेषित बीजक 63 दिन की अवधि का है जिसमें विद्युत खपत 4970 यूनिट है अर्थात 79 यूनिट प्रतिदिन औसत खपत के हिसाब से परिवादी को बिल भेजा गया है। तीन कि0वा0 विद्युत भार के संयोजन पर 79 यूनिट प्रतिदिन की खपत असंभव है विपक्षी इस खपत को साबित करने के लिए भी एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। अतः एक बिल चक्र में 4970 यूनिट की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर विपक्षी द्वारा दिनांक 14.09.2023 को प्रस्तुत संशोधन गणना शीट को मंच खारिज करता है। मंच के मत में दिनांक 23.04.2023 के

बीजक को पूर्व के तीन चक्रों के औसत आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

## आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को प्रेषित बीजक दिनांक 23.04.2023 को निरस्त किया जात है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि, परिवादी को दिनांक 19.02.2023 सें मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 04.05.2023 तक का बीजक IDF आधार पर जारी करे, जिसमें परिवादी द्वारा जमा करायी गयी रू0. 20.000/(बीस हजार)की धनराशि का भी समायोजन करें। दिनांक 04.05.2023 से वर्तमान तक का बीजक नये मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर जारी करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 19/9/2023

19/09/23

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य(उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य(तकनीकी)

(टीका राम जोशी)
सदस्य(न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित,हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 19/9/2023

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य(उपभोक्ता)

(पी सी पाण्डेय)
सदस्य(तकनीकी)

(टीका राम जोशी)
सदस्य(न्यायिक)